30 अप्रैल, 2020 सरकारी आदेश 2020-34

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश
(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 32)

चूँकि, कुछ ही समय में कोविड-2019 शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, COVID -19 श्वसन प्रसारण से फैलती है और इन्फ्लूएंजा की तरह के लक्षण पेश करती है, और,

जबकि, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (Governor), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (the First Gubernatorial Disaster Proclamation) और,

जबकि, 1 अप्रैल, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (Governor), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 1 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (the Second Gubernatorial Disaster Proclamation) और,

जबकि, 30 अप्रैल, 2020 को, चूंकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने की अपेक्षा, और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटरों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था (तृतीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम व द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

जबकि, भांग नियमन एवं कराधान अधिनियम (केनाबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट), 410 ILCS 705/15-25(a) 1 मई, 2020 तक 75 सशर्त वयस्क उपयोग वितरण संगठन लाइसेंस जारी करने के लिए के इलिनॉय के वित्तीय और व्यावसायिक विनियमन विभाग (IDFPR) को आवश्यक बनाता है; और,

जबकि, भांग नियमन एवं कराधान अधिनियम (केनाबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट), 410 ILCS 705/15-5 एवं अनुवर्ती, और चिकित्सीय भांग का दयालु उपयोग कार्यक्रम अधिनियम (कम्पेशनेट यूज़ ऑफ़ मेडिकल केनाबिस प्रोग्राम एक्ट), 410 ILCS 130, भी IDFPR के लिए निर्दिष्ट समय सीमाओं के अंदर चिकित्सीय एवं वयस्क उपयोग भांग वितरण संगठन अभिकर्ता पहचान पत्र जारी करना आवश्यक करता है, और चिकित्सीय एवं वयस्क उपयोग भांग वितरण संगठन अभिकर्ताओं (एजेंटों) के लिए वितरण केंद्र (डिस्पेंसरी) में कार्य करना आरंभ करने से पहले वितरण संगठन अभिकर्ता पहचान पत्र प्राप्त करना अनिवार्य करता है; और,

जबकि, सरकारी आदेश 2020-32 अनिवार्य करता है कि इलिनॉय के निवासी आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक सरकारी कार्यों और आवश्यक व्यवसायों और प्रचालनों के अलावा हमेशा घर पर ही रहें; और,

जबकि, भांग नियमन एवं कराधान अधिनियम (केनाबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट), 401 ILCS 705/1-1, के अनुसरण में अनुज्ञा (लाइसेंस) प्राप्त चिकित्सीय एवं वयस्क उपयोग भांग वितरण केंद्र (डिस्पेंसरीज़), कार्यकारी आदेश 2020-32 के प्रयोजनों के लिए आवश्यक व्यापार एवं संचालन हैं; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप ने आवेदन समीक्षा प्रक्रिया में विलंब उत्पन्न किया है और 1 मई, 2020 तक 75 सशर्त वयस्क उपयोग वितरण संगठन अनुज्ञाएं (कंडीशनल एडल्ट यूज़ डिस्पेंसिंग ऑर्गनाइज़ेशन लाइसेंस) जारी करने की, और समयबद्ध ढंग से चिकित्सीय एवं वयस्क उपयोग भांग वितरण संगठन अभिकर्ता पहचान पत्र जारी करने की IDFPR की योग्यता को प्रभावित किया है;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझ में निहित शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1) के अनुसार, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

अनुभाग 1. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, या जब तक IDFPR अन्यथा एक नए दिनांक, जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के समापन के बाद नहीं हो सकता, की घोषणा नहीं कर देता तब तक, 410 ILCS 705/15-25(a) के अनुसरण में यह आवश्यकता कि IDFPR 1 मई, 2020 से पहले अधिकतम 75 सशर्त वयस्क उपयोग वितरण संगठन अनुज्ञाएं (कंडीशनल एडल्ट यूज़ डिस्पेंसिंग ऑर्गनाइज़ेशन लाइसेंस) जारी करे, स्थगित की जाती है। इस सांविधिक उपबंध को केवल इस आवश्यकता के संदर्भ में स्थगित किया जाता है कि उक्त अनुज्ञाएं (लाइसेंस) 1 मई, 2020 तक जारी कर दिए जाएं। IDFPR जनता को उक्त अनुज्ञाएं (लाइसेंस) जारी किए जाने के दिनांक की सूचना देगा।

अनुभाग 2. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, भांग नियमन एवं कराधान अधिनियम (केनाबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट), 410 ILCS 705, और चिकित्सीय भांग का दयालु उपयोग कार्यक्रम अधिनियम (कम्पेशनेट यूज़ ऑफ़ मेडिकल केनाबिस प्रोग्राम एक्ट), 410 ILCS 130, के निम्नलिखित उपबंध और कार्यान्वयनकारी विनियम एतद्द्वारा निम्नवत स्थगित किए जाते हैं:

a. 410 ILCS 130/120(a) एवं 410 ILCS 705/15-40(a) के अनुसरण में ये आवश्यकताएं कि IDFPR, पूर्ण आवेदन या नवीकरण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर चिकित्सीय या वयस्क उपयोग भांग वितरण संगठन अभिकर्ता पहचान पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करे और अर्ह अभिकर्ता (क्वालिफ़ाइंग एजेंट) को आवेदन या नवीकरण स्वीकृत किए जाने के 15 व्यापार दिनों के अंदर वितरण संगठन अभिकर्ता पहचान पत्र जारी करे, स्थगित की जाती हैं; और,

b. 410 ILCS 705/15-60(k) के अनुसरण में यह आवश्यकता कि वयस्क उपयोग भांग वितरण संगठन अभिकर्ता को किसी वितरण केंद्र (डिस्पेंसरी) पर कार्य आरंभ करने से पहले IDFPR से अभिकर्ता पहचान पत्र प्राप्त करना होगा, स्थगित की जाती है बशर्ते कि वह वितरण संगठन अभिकर्ता, IDFPR से यह लिखित पुष्टि प्राप्त करे कि वितरण संगठन अभिकर्ता ने वितरण केंद्र (डिस्पेंसरी) पर कार्य आरंभ करने से पहले IDFPR के पास एक पूर्ण आवेदन जमा कर दिया है; और,

c. 410 ILCS 130/210(b) एवं 410 ILCS 705/15-40(b) के अनुसरण में ये आवश्यकताएं कि चिकित्सीय या वयस्क उपयोग भांग वितरण संगठन अभिकर्ता को वितरण केंद्र (डिस्पेंसरी) में होने के दौरान अपना अभिकर्ता पहचान पत्र सारे समय दिखता हुआ रखना होगा, स्थगित की जाती हैं बशर्ते कि उस वितरण संगठन अभिकर्ता के पास IDFPR द्वारा दी गई यह लिखित पुष्टि हो कि वितरण संगठन अभिकर्ता ने वितरण केंद्र (डिस्पेंसरी) में कार्य आरंभ करने से पहले IDFPR के पास एक पूर्ण आवेदन जमा कर दिया था; और,

d. 410 ILCS 705/15-65(d) के अनुसरण में यह आवश्यकता कि वयस्क उपयोग वितरण संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वितरण संगठन अभिकर्ता के पास, उस अभिकर्ता के वितरण केंद्र (डिस्पेंसरी) में होने के दौरान उसका वर्तमान अभिकर्ता पहचान पत्र उसके आसन्न कब्ज़े में हो, स्थगित की जाती है बशर्ते कि वितरण संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि वितरण संगठन अभिकर्ता इस अनुभाग के भाग (b) एवं (c) का अनुपालन करता है; और,

e. ये आवश्यकताएं कि चिकित्सीय या वयस्क उपयोग भांग वितरण संगठन अभिकर्ता बिक्री करते समय राज्य की सत्यापन प्रणाली में 68 इलि. प्रशासन (Admin.) संहिता (इलि. कोड) 1290.430(d)(6)(A) और 1290.431(b)(5)(A), एवं 410 ILCS 705/15-85(a)(4)(i) के अनुसरण में अपनी अभिकर्ता पंजीकरण संख्या दर्ज करेगा, स्थगित की जाती हैं बशर्ते कि वितरण संगठन अभिकर्ता बिक्री करने वाले अभिकर्ता की पहचान का हिसाब रखने और उसे प्रणाली में बनाए रखने के लिए राज्य की सत्यापन प्रणाली में आवश्यक जानकारी दर्ज करे; और,

f. इस अनुभाग के भाग (b) से लेकर (e) तक, 410 ILCS 705/1-10 में परिभाषित किए गए वितरण संगठन प्रधान अधिकारी (डिस्पेंसिंग ऑर्गनाइज़ेशन प्रिंसिपल ऑफ़िसर) पर, या 410 ILCS 705/15-95 में आवश्यक किए अनुसार अभिकर्ता-प्रभारी (एजेंट-इन-चार्ज) पर लागू नहीं होंगे।

अनुभाग 3. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

____

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)

राज्यपाल द्वारा 30 अप्रैल, 2020 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा 30 अप्रैल, 2020 को दर्ज